

PRICE: Rs. 250/- (मुद्रित मूल्य: ₹250/-)

★ **28-PAGE MASTER CITIZEN DEFENSE EDITION** ★

Complete unredacted treatise authored by **Adv. Shakti Kumar Jain** (Resident, Progressive Society, Chandigarh). Read freely online or submit practical contributions through our contact desk:

<https://primelawyers.in/contact-us.html>. Accepted contributors will be acknowledged in the forthcoming published Premium Edition!



CHANDIGARH ESTATE OFFICE VIOLATION NOTICES

Unjust Pain, Punitive Harassment of Citizens & Economic Defense

चंडीगढ़ संपदा कार्यालय नोटिस: नागरिकों व बच्चों पर अनुचित उत्पीड़न एवं आर्थिक संरक्षण

ADV. SHAKTI KUMAR JAIN

Advocate, High Court of Punjab & Haryana & Supreme Court of India

Resident: Progressive Society, Sector 50, Chandigarh | Chambers: <https://primelawyers.in/contact-us.html>

• प्रोग्रेसिव सोसाइटी, चंडीगढ़ से एक नागरिक व अधिवक्ता की गवाही**• हजारों नागरिकों में से एक नागरिक की सच्ची व्यथा:**

मैं स्वयं प्रोग्रेसिव सोसाइटी, सेक्टर 50, चंडीगढ़ का निवासी हूँ। अपने लगभग सभी साथी निवासियों और शहर के हजारों नागरिकों की तरह, मैंने भी अत्यंत बुनियादी और आवश्यकता-आधारित छोटे बदलावों—जैसे बारिश व धूप से बचाव के शेड (Rain Sheds), बच्चों व बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गिल गेट (Safety Gates) और हल्की चारदीवारी (Boundary Walls)—के लिए संपदा कार्यालय के कठोर नोटिसों का दर्द देखा है।

ये निर्माण किसी स्थायी संरचनात्मक ढांचे (Permanent Load-Bearing Structure) को नुकसान नहीं पहुंचाते, न ही सार्वजनिक जमीन पर कोई अतिक्रमण करते हैं, और न ही पड़ोसियों या सरकार को कोई असुविधा देते हैं। नागरिक अपने खून-पसीने की कमाई से, बिना सरकार पर कोई बोझ डाले, केवल अपने परिवार की सुरक्षा और गरिमा के लिए यह खर्च करते हैं।

• शासन व वीआईपी के साथ संवैधानिक समानता (Parity) व सहयोग का आमंत्रण

इसी चंडीगढ़ शहर में सरकारी बंगलों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और सत्ता के करीब प्रभावशाली व्यक्तियों ने अपने मौसम और सुरक्षा की जरूरतों के लिए ऐसे ही, बल्कि उनसे कहीं बड़े निर्माण किए हुए हैं, जिन्हें कभी कोई नोटिस नहीं भेजा जाता। हमारा यह कतई कहना नहीं है कि वे गलत हैं; बल्कि हमारा तर्क यह है कि उनकी वे आवश्यकताएं यह प्रमाणित करती हैं कि चंडीगढ़ के मौसम में ऐसे निर्माण जीवन की अनिवार्य जरूरत हैं! हमारी समाजवादी संवैधानिक व्यवस्था में अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जो निर्माण किसी उच्च अधिकारी के लिए स्वाभाविक है, वही आम नागरिक के लिए 'अवैध जब्ती' का आधार कैसे बन सकता है?

मैं शहर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों (Enlightened Intelligentsia)—विद्वान अधिवक्ताओं, वास्तुकारों, आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों व नागरिकों—को आमंत्रित करता हूँ कि वे हमारे 'बीटा-रीडर एवं कंट्रीब्यूटर पैनल' से जुड़ें और अदालत में प्रस्तुति हेतु इस विधिक रणनीति को और अधिक मजबूत बनाएं।

• A Resident Advocate's Direct Lived Experience**• One Citizen Among Thousands Facing Arbitrary Notices:**

I am a resident of Progressive Society, Sector 50, Chandigarh. Like nearly all my fellow residents and tens of thousands of citizens across the Union Territory, I too have witnessed the arbitrary receipt of Estate Office violation notices for minor, need-based additions—such as rain and sun protection sheds, safety grill gates for children and senior citizens, and low boundary walls.

These non-structural modifications do not alter the permanent load-bearing structure, encroach upon public land, or cause the slightest inconvenience to neighbors or the State. Citizens create them entirely at their own expense, without bothering the public exchequer, solely to enjoy their hard-earned homes in safety, health, and dignity.

• Constitutional Parity with the State & Call to Intelligentsia

Across Chandigarh, government bungalows, senior administrative officers, and influential dignitaries have made identical, and often far more substantial, architectural adaptations for security and climate. We never say they are wrong or that their homes should be disturbed; on the contrary, their modifications prove that such additions are genuine human necessities in our climate! Under Articles 14 and 21 of our constitutional democracy, what is recognized as necessary for high officials cannot be branded an illegal violation warranting property forfeiture for ordinary citizens.

As a lawyer practicing for over 30 years before the High Court and Supreme Court, I invite the **Enlightened Intelligentsia**—fellow advocates, architects, RWA office-bearers, and affected residents—to join our **Beta-Reader & Contributor Panel** to fortify our strategic court presentation with verified records and lived experiences.

• शून्य-विलंब कानूनी निर्देश: एक भी दिन की देरी न करें**• अत्यंत आवश्यक कानूनी चेतावनी:**

जैसे ही आपको संपदा कार्यालय (Estate Office) के नोटिस की आशंका हो या नोटिस प्राप्त हो, यह अत्यंत आवश्यक है कि आप बिना एक भी दिन की देरी किए अपनी पसंद के किसी अनुभवी वकील से तुरंत कानूनी सलाह लें या औपचारिक जवाब दाखिल करें।

• प्रतिदिन बढ़ता भारी जुर्माना (Daily Compounding Penalty):

पंजाब राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 और नियम 10 शमन उप-नियमों (Compounding Bye-laws) के तहत जुर्माना हर दिन तेजी से बढ़ता है। थोड़ी सी भी देरी होने पर यह देनदारी लाखों-करोड़ों रुपये तक पहुंच जाती है, जिससे संपत्ति की जब्ती (Resumption) और सीलिंग की नौबत आ जाती है। समय पर की गई कानूनी कार्रवाई इस चक्रवृद्धि जुर्माने पर रोक लगाती है और आपके संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित करती है।

• प्रबुद्ध नागरिकों व पाठकों के सुझावों का स्वागत

इस रक्षा ग्रंथ को ऑनलाइन पूर्णतः निःशुल्क पढ़ें और हमारे contact-us पेज के माध्यम से अपने सुझाव भेजें:

<https://primelawyers.in/contact-us.html>

प्रबुद्ध पाठकों के सार्थक सुझावों और अदालती नज़ीरों को आगामी प्रकाशित प्रीमियम संस्करण (Premium Edition) में शामिल किया जाएगा तथा 'Thanks to Beta Readers & Contributors' अध्याय के अंतर्गत आपके नाम सहित प्रकाशित किया जाएगा। सभी चयनित सहयोगियों को मुद्रित प्रति निःशुल्क भेंट की जाएगी।

• Zero-Delay Statutory Mandate: Act Within 24 Hours**• Critical Statutory Precaution:**

When you anticipate an Estate Office notice or the very moment it arrives, IT IS PERTINENT NOT TO DELAY EVEN FOR A SINGLE DAY to meet an experienced lawyer of your choice for proactive legal action or prompt formal reply.

• Compounding in Daily Geometric Ratio:

Under the Capital of Punjab (Development & Regulation) Act and Rule 10 compounding bye-laws, penalties compound on a DAILY GEOMETRIC RATIO (दैनिक ज्यामितीय अनुपात)! Delaying even briefly escalates liabilities into astronomical sums running into lakhs or crores and precipitates irreversible resumption and sealing. Immediate legal intervention freezes compounding penalties and secures property titles.

• Open Access & Intelligentsia Contributor Invitation

Read this treatise online freely and submit your substantive feedback and suggestions through our portal: <https://primelawyers.in/contact-us.html>

Meaningful contributions and court precedents will be incorporated into the forthcoming **Premium & Enhanced Edition**, and contributing collaborators will be permanently acknowledged in the "Thanks to Beta Readers & Contributors" chapter with a complimentary copy!

• व्यावहारिक उदाहरण एवं स्पष्टीकरण: समानता का अचूक कानूनी बचाव**• व्यावहारिक आवासीय व व्यावसायिक उदाहरण (Case Scenario):**

मान लीजिए कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी (सेक्टर 50) या सेक्टर 17, 22, 34 के व्यावसायिक बूथों में पिछले आंगन को कवर करने, फाइबर शेड डालने या आंतरिक विभाजन (Partition) को लेकर संपदा कार्यालय ने जब्ती (Resumption) और सीलिंग का नोटिस भेजा है।

• समानता का नियम (Doctrine of Parity):

यदि उसी सोसाइटी या आसपास के सैकड़ों अन्य भवनों में वही निर्माण प्रशासन द्वारा वर्षों से चलने दिए गए हैं या शमित (Compounded) किए गए हैं, तो केवल चुनिंदा नागरिकों पर कार्रवाई करना कानूनन दुर्भावनापूर्ण और भेदभावपूर्ण है।

• उच्च न्यायालय से त्वरित रोक (High Court Stay Order):

अधिवक्ता के माध्यम से सेक्टर और सोसाइटी की समानता के तुलनात्मक फोटोग्राफ व आधिकारिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय दंडात्मक कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाता है और समानता (Parity) के आधार पर नियमितीकरण का आदेश देता है।

• धारा 4 शमन प्रक्रिया: जब्ती से पहले नियमितीकरण का वैधानिक अधिकार**• शमन (Compounding) के लिए मानक कानूनी प्रक्रिया:**

पंजाब राजधानी अधिनियम की धारा 4 और भवन उप-नियमों के तहत संपत्ति स्वामी को किसी भी कथित उल्लंघन के शमन के लिए विधिवत आवेदन प्रस्तुत करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है।

• सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम 2024-25 दिशा-निर्देश:

सर्वोच्च न्यायालय ने हालिया फैसलों में यह अनिवार्य किया है कि जब्ती या सीलिंग का कोई भी अंतिम आदेश पारित करने से पहले प्रशासन को शमन के आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना होगा और एक स्पष्ट व लिखित कारण सहित आदेश (Speaking Order) देना होगा।

• जल्दबाजी में की गई कार्रवाई पर रोक:

यदि प्रशासन शमन आवेदन को लंबित रखकर सीधे जब्ती या ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू करता है, तो ऐसी कार्यवाही कानूनन अवैध होती है और अदालत द्वारा तुरंत रद्द कर दी जाती है।

चंडीगढ़ भवन नियम: प्रशासनिक मनमानी बनाम आपके संवैधानिक अधिकार

संवैधानिक सुरक्षा कवच



**अनुच्छेद 21: गरिमा
और सुरक्षा का
अधिकार**

सिर पर छत का अर्थ केवल मकान नहीं,
बल्कि सुरक्षा और निजता के साथ
सम्मानजनक जीवन है।

कानूनी प्रक्रिया और समाधान



**05.03.2025 सर्कुलर:
तोड़फोड़ से पहले
सुरक्षा**

किसी भी तोड़फोड़ से पहले 15 दिन का
नोटिस, फोटो, डिजिटल रिकॉर्ड और सुनवाई
अनिवार्य है।



**अनुच्छेद 300A और
आनुपातिकता का
सिद्धांत**

संपत्ति का अधिकार कानून के बिना नहीं
छीना जा सकता; मामूली उल्लंघन के लिए
तोड़फोड़ अंतिम विकल्प होना चाहिए।



आवश्यकता-आधारित परिवर्तन
ग्रिल, फाइबर शेड और सनशेड जैसे सुरक्षा
उपायों को 'लघु उल्लंघन' मानकर नियमित
किया जाना चाहिए।



**अनुच्छेद 14:
चयनात्मक प्रवर्तन
के विरुद्ध समानता**

प्रशासन द्वारा केवल आम नागरिकों को
निशाना बनाना और वीआईपी/सरकारी
अतिक्रमणों को छोड़ना मनमाना और अवैध है।



'मध्य मार्ग' - समाधान की दिशा
वास्तुकला की एकरूपता के बजाय मानव
सुरक्षा और संरचनात्मक स्थिरता को
प्राथमिकता देना ही सही संतुलन है।

नियमितीकरण शुल्क (लगभग):



**बालकनी में
ग्रिल लगाना**
₹10,000 + GST
संरचनात्मक स्थिरता
प्रमाण पत्र



बालकनी ग्लेज़िंग
₹25,000 + GST
मुख्य अग्निशमन
अधिकारी से मंजूरी



**मुख्य द्वार की
चौड़ाई बढ़ाना**
₹5,000
मानक डिजाइन
का पालन

संदर्भ: यह इन्फोराफिक 1952 के नियमों और संवैधानिक
अधिकारों के बीच संघर्ष, और 05.03.2025 सर्कुलर के
तहत 'मध्य मार्ग' समाधान पर केंद्रित है।

Chandigarh Building Violations: A Citizen's Guide to Rights & Rules

CONTEXT SUMMARY

While Chandigarh's 1952 Act seeks to preserve a "Corbusian aesthetic," rigid enforcement often clashes with residents' basic needs. Recent legal reforms and circulars now provide essential protections against administrative highhandedness and arbitrary demolitions.



CONSTITUTIONAL DEFENSES FOR PROPERTY OWNERS



Article 14: The Right to Equality

Prohibits selective enforcement where small flats are targeted while VIP violations are ignored.



Article 21: Right to Dignity and Shelter

Courts recognize that safety grilles and sunshades are functional necessities for dignified living.



Article 300A: The Doctrine of Proportionality

Resumption of property must be a last resort, never for minor regularizable violations.

PROCEDURAL SAFEGUARDS (05.03.2025 Circular)



Mandatory 15-Day Show-Cause Notice

Notices must include specific measurements, photographs, and scientific rationale for the alleged violation.



Guaranteed Personal Hearing

Authorities must record minutes of the hearing before issuing any final demolition order.



20% Penalty Cap

Total penalties are legally capped at 20% of the property's assessed Collector Rate.

PROPOSED RATIONALIZED PENALTY RATES

Purpose: Outlines the proposed rationalized penalty rates to prevent "ruinous fines" that previously exceeded property values.

	Property Category	Building Violation (₹/sq.ft/day)	Property Misuse (₹/sq.ft/day)
1	 Industrial / Warehouse	₹8	₹10
2	 Commercial	₹6	₹8
3	 Residential	₹4	₹6

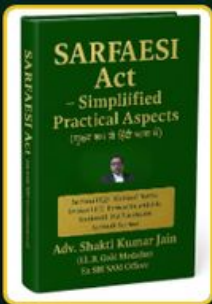
AUTHOR CREDENTIALS & ACCLAIMED PUBLICATIONS



ADV. SHAKTI KUMAR JAIN

Advocate, High Court of Punjab & Haryana & Supreme Court

- Resident: Progressive Society, Sector 50, Chandigarh.
- Over 30 years of distinguished appellate practice in Constitutional Writs, Banking, SARFAESI, and Chandigarh Estate Office Jurisprudence.
- Pioneer in establishing landmark High Court precedents protecting citizens against arbitrary executive resumption.



MUST-READ LEGAL TREATISE

SARFAESI ACT – SIMPLIFIED & PRACTICAL ASPECTS

- The authoritative practical guide consulted by advocates, chartered accountants, and corporate leaders across India.
- Comprehensive coverage of Section 13/14 warrants, DRT Securitisation Applications, and Article 226 writ strategies.
- Explore or order at: <https://npadoctor.com>

★ SUBMIT YOUR REVIEWS & SUGGESTIONS FOR THE PREMIUM EDITION ★

Submit your practical experiences and suggestions through our consultation desk:

<https://primelawyers.in/contact-us.html>

Meaningful suggestions will be acknowledged in the forthcoming Premium Edition (only priced) and participating contributors will receive a complimentary copy published under "Thanks to Beta Readers & Contributors" chapter.



PRIME LAWYERS LEGAL DEFENSE DESK & CHAMBERS

Resident Chambers: Progressive Society, Sector 50 & High Court Chambers, Chandigarh

Submit Inquiry Online: <https://primelawyers.in/contact-us.html>

PRICE: Rs. 250/- • CITIZEN DEFENSE EDITION